# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 412/2026

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. शेरसिंह पुत्र जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राधेश्याम पुत्र जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़।

**– वादी**

**बनाम्**

1. कृष्णादेवी पुत्री नन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कौशल्या पुत्री नन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. चन्द्रकला पुत्री नन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राणी पुत्री नन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
5. संमत उर्फ सम्पत पुत्री नन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

**पेरोकार राज**

**निर्णय** दिनांकः 03/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मोजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 3/3 के कुल खसरे 39 कि कुल 8.0960 है. भूमि व रोही मोजा 5 ए बारानी खाता संख्या 305/308 के कुल खसरे 122 कि कुल 24.6840 है. भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 जो की वादीगण की बुआ है वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 के बीच परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने समझौता किया हुआ है मुताबिक पारिवारीक समझौता उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा रोही मोजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 3/3 के कुल खसरे 39 कि कुल 8.0960 है. भूमि व रोही मोजा 5 ए बारानी खाता संख्या 305/308 के कुल खसरे 122 कि कुल 24.6840 है. भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के नाम दर्ज भूमि में रै 1/2 हिस्सा भूमि पर वादीगण ब०हि०ब० काबिज है। वादीगण जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 जो की वादीगण की बुआ है वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 के बीच परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने समझौता किया हुआ है मुताबिक पारिवारीक समझौता उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा रोही मोजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 3/3 के कुल खसरे 39 कि कुल 8.0960 है. भूमि व रोही मोजा 5 ए बारानी खाता संख्या 305/308 के कुल खसरे 122 कि कुल 24.6840 है. भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के नाम दर्ज भूमि में रै 1/2 हिस्सा भूमि पर वादीगण ब०हि०ब० काबिज है। वादीगण जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 ता 5 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 3/3 के कुल खसरे 39 कि कुल 8.0960 है. भूमि व रोही मोजा 5 ए बारानी खाता संख्या 305/308 के कुल खसरे 122 कि कुल 24.6840 है. भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादीगण का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 जो की वादीगण

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की बुआ है वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 के बीच परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने समझौता किया हुआ है मुताबिक पारिवारीक समझौता उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा रोही मोजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 3/3 के कुल खसरे 39 कि कुल 8.0960 है. भूमि व रोही मोजा 5 ए बारानी खाता संख्या 305/308 के कुल खसरे 122 कि कुल 24.6840 है. भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के नाम दर्ज भूमि में रै 1/2 हिस्सा भूमि पर वादीगण ब०हि०ब० काबिज है। वादीगण जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 ता 5 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 3/3 के कुल खसरे 39 कि कुल 8. 0960 है. भूमि व रोही मोजा 5 ए बारानी खाता संख्या 305/308 के कुल खसरे 122 कि कुल 24.6840 है. भूमि उपरोक्त दोनो खातो में से प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के नाम दर्ज हिस्से में से 1/2 हिस्सा भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

**(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)**
**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**
**एवं सहायक कलक्टर**
**नोहर**

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 412/2026

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. शेरसिंह पुत्र जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राधेश्याम पुत्र जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़।

**– वादी**

**बनाम्**

1. कृष्णादेवी पुत्री नन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कौशल्या पुत्री नन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. चन्द्रकला पुत्री नन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राणी पुत्री नन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
5. संमत उर्फ सम्पत पुत्री नन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 412 सन 2026 निर्णय दिनांक** 03/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 3/3 के कुल खसरे 39 कि कुल 8. 0960 है. भूमि व रोही मोजा 5 ए बारानी खाता संख्या 305/308 के कुल खसरे 122 कि कुल 24.6840 है. भूमि उपरोक्त दोनो खातो में से प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के नाम दर्ज हिस्से में से 1/2 हिस्सा भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....03/06/26.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

**(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)**
**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**
**एवं सहायक कलक्टर**
**नोहर**